झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

दशम् (मानसून)सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 10.08.2017 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री बिरंची नारायण स0वि0स0	हरमू हाउसिंग कॉलोनी के हाउसिंग बोर्ड के मूल नक्शे के निर्माण के समय पटेल पार्क को एक पार्क के रूप में रेखांकित किया गया है। पूर्व की सरकार द्वारा षड्यंत्रपूर्वक इस पार्क को अवैध रूप से एक निजी स्कूल को आवंटित कर दिया गया है एवं जब इस अनियमितता का पता चला तो उक्त अनियमितता के विरूद्ध तत्कालीन प्रबंध निदेशक श्री दिलीप कुमार झा ने दिनांक- 28.04.2015 को सभी संलिप्त तत्कालीन संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध दिनांक- 02.05.2015 तक आरोप प्रपत्र "क" गठित कर हर हाल में उपस्थापित करने का आदेश दिया, लेकिन इस आदेश पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतएव मैं इस दिशा में सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए माँग करता हूँ कि उक्त पटेल पार्क को व्यापक जनहित में संरक्षित करते हुए षड्यंत्रपूर्वक अवैध रूप से निजी स्कूल को किये गए उक्त आवंटन को रद्द करते हुए सभी संलिप्त दोषियों पर कार्रवाई की जाय।	नगर विकास एवं आवास

क्र0पृ030

01.	02.	03.	04.
02-	श्रीमती विमला प्रधान स0वि0स0	सिमडेगा विधान सभा क्षेत्र के अनेक गाँव वन क्षेत्र में हैं जहाँ पर आदिवासी एवं मूलवासियों की आबादी है, जो वहाँ वर्षो से निवास कर रही है। परन्तु आवागमन के लिए सड़कों की सुविधा नही मिल पा रही क्योंकि वन विभाग का हमेशा आपत्ति हो जाता है। जैसे केरसई प्रखण्ड में मकरघरा से ढोडहीजोर, कराईगुडा से घोसरा घाटी, करमटोली, छत्तीसगढ़ बोर्डर, डेरडा से माझाघाट, गोयबेडा से छायापानी, कुल्लुकेरा से खिराकोना वनमारा छत्तीसगढ़ बोर्डर ऐसे अनेक सड़कें वन विभाग की आपत्ति से नही बन पा रहे है। उसी तरह पालकोट प्रखण्ड की अनेक सड़के अभी तक प्रखण्ड मुख्यालय तक नही जुड़ पा रही हैं। पाकरटांड प्रखण्ड कुसकेला से गोदलीपानी, आसन्नबेडा से काडामुखा ऐसी सड़कें वन क्षेत्र में ही हैं परन्तु सड़क नही बन पा रही हैं जिससे पानी और बिजली की समस्या भी है। अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि इन क्षेत्रों के विकास के लिए सड़कों का निर्माण कराया जाय एवं वन विभाग से सरकार के स्तर से समस्या के समाधान के लिए बातचीत करने की पहल की जाय।	मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय
03-	श्री भानु प्रताप शाही एवं श्री प्रकाश राम स0वि0स0	माननीय उच्चतम न्यायालय (सुप्रिम कोर्ट) अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में आदेश दिया है कि समान काम के बदले समान वेतन नियम को यथाशीघ्र जनहित में लागू किया जाये। विदित हो कि हमारे झारखण्ड प्रदेश पारा शिक्षक सहित लाखों अनुबन्ध कर्मी/दैनिक कर्मी आज भी समान काम के बदले समान वेतन से वंचित है जिसके चलते उन शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को आर्थिक संकट हो रही है। अतः हम सभी सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराते है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में समान काम समान वेतन में पारा शिक्षक सहित विभिन्न क्षेत्र में कार्य कर रहे अनुबन्धकर्मी/दैनिक वेतनकर्मीयों को समान काम के बदले समान वेतन/मानदेय लागू किया जाये।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

कृ0 पृ030

04	श्री अरूप चटर्जी स0वि0स0	रामगढ़ जिला क्षेत्र में विगत दिनांक- 29.06.2017 को घटी एक मारमीक एवं दर्दनाक घटना जिसमें मो0 अलिमुद्दिन अंसारी उर्फ असगर अंसारी को गौ-रक्षकों द्वारा पीट-पीट कर सरेआम निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। इस तरह राज्य भर में इससे पूर्व गौ-रक्षक, प्रतिबंधित मांस व्यापारी तो कभी बच्चा चोरी के नाम पर बेकसूर लोगों (बच्चे सहित) को सरेआम पीट-पीट कर हत्या कर दी जा रही है, इसी क्रम में 1- दिनांक- 18 मार्च 2016 को लातेहार जिला के बालुमाथ में मजलुम अंसारी (उम्र 32 वर्ष) एवं इम्तीयाज अंसारी (उम्र 12 वर्ष), 2- दिनांक- 02 अक्टूबर 2016 को जामताड़ा जिला में मिनाज अंसारी, 3- दिनांक- 18 मई 2017 को जमशेदपुर क्षेत्र में 7 लोगों को तथा 4- दिनांक- 26 जून 2017 को गिरिडीह जिला में मो0 उसमान अंसारी की हत्या शामील है, इसके अलावे भी राज्य भर में इन विषयों से सम्बंधित लगातार छीट-फुट हिंसा की घटनायें घटीत हो रही है, जो राज्य के विधि-व्यवस्था के साथ समाजिक सौहार्द की अक्षुणता के लिए एक अत्यंत ही चिन्तनीय विषय है। अतएव राज्य में हुई ऐसी हत्याओं पर उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी, उचित मुआवजा के साथ इस तरह के हो रहे घटनाओं के रोकथाम पर सरकार द्वारा कड़ी कानून बनाये जाने के औचित्य पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन
05	श्री राजकुमार यादव, स0वि0स0	गिरिडीह ज़िला के प्रखंड बिरणी अन्तर्गत ग्राम खरटी पंचायत, पंचायत बरमसीया में मनरेगा योजना के तहत् मनोज वर्मा (भेंडर) पिंकी वर्मा, बद्री वर्मा, खुबलाल महतो, जमुनी देवी सभी एक ही परिवार के मेंठ बनकर रोजगार सेवक, मुखिया, वी0पी0ओ0, कनिय अभियंता, वी0डी0ओ0 बिरनी से मिलीभगत कर, जे0सी0वी0 मशीन	ग्रामीण विकास

		से कार्य करवा कर, फर्जी मास्टर रोल बनाकर योजना संख्या- 161/ 16-17, 1755/ 16-17, 1331/ 15-16, 554/15-16, में डोभा निर्माण, तालाब निर्माण आधा-अधुरा कार्य कराकर लाखो रूपया की निकासी प्रशासनीक अधिकारियों द्वारा मिलीभगत कर की है तथा छोटे-छोटे स्कूल में पढ़ने वाले, बच्चे बच्चीयों का जॉब कार्ड बनवाकर कार्य को अंजाम दिया है। अतः मैं उपरोक्त योजना में की गई गड़बड़ियों की ACB से निष्पक्ष जाँच कराकर दोषियों को दंड तथा अवैध निकासी की रकम वापसी के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	

राँची,
दिनांक- 10 अगस्त, 2017 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-44/2017-2399 /वि0 स0, राँची, दिनांक- 09/08/17

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ नगर विकास एवं आवास विभाग/मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/8/17

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-44/2017-2399 /वि0 स0, राँची, दिनांक- 09/08/17

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

9/8/17

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

09-08-17